15

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 02/2022 दायर दिनांक– 13.01.2022

1. शिवांगी पत्नी रविप्रताप सिह पुत्री नीनू कुमार नाती– रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी पुराना बग्गीखाना सिविल लाइन्स नयापुरा कोटा।
2. वृतिक पत्नी प्रद्युम्न सिंह पुत्री पुत्री नीनू कुमार नाती– रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी एच एच फ्लेटस, तिलक मार्ग, उधोग भवन के सामने सी स्कीम जयपुर।

–आवेदकगण

–:: **बनाम** ::–

1. रघुनाथ सिंह पुत्र श्री धूड़सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ हाल निवासी फ्लेट नम्बर 503 विक्टोरिया बिल्डींग शास्त्री नगर अंधेरी वेस्ट मुम्बई।
2. अनिता जौरा पत्नी समीर जौरा पुत्री रघुनाथ सिंह निवासी फ्लेट नम्बर 503, विक्टोरिया बिल्डींग शास्त्री अधेरी वेस्ट मुम्बई।
3. रामसिंह पुत्र धूड़ सिंह
4. रमेश सिंह पुत्र धूड़सिंह
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र धुड़सिह
6. अल्का पत्नी सतीश सिंह
7. करण सिंह पुत्र सतीश सिंह
   जाति समस्त राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाा झाझड़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक :– श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील अनावेदकगण :– श्री आनन्दीलाल सैनी

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0 एवं</u>
<u>आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता</u>

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 27.01.2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में खाता संख्या 574 में आराजी खसरा नम्बर 481, 482 रकबा क्रमशः 0.0400, 3.900 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हैक्टर व खाता संख्या 554 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 451 रकबा 0.41 हैक्टर एवं खाता संख्या 555 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 0.71 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पैतृक आराजीयात है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वाग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 को अपने पूर्वज धूड़सिंह से प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज धूड़सिंह की वंशावली प्रार्थना पत्र के मद संख्या 03 में दर्ज अनुसार ग्राम झाझड़ में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का पूर्वज धूड़सिंह जी थे, जिनके पांच पुत्र रूघनाथ सिंह, सतीश सिंह, रमेश सिंह, रामसिंह राजेन्द्र सिंह हुये है। जिनमें से सतीश सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके विधिक वारि[illegible]ह है, रूघनाथ सिंह को दो पुत्रिया नीनू कुमार व अनिता हुई, जिनसे नीनूकुमारी का स्वर्ग[illegible] है जिनकी विधिक वारिस शिंवागी व वृतिका वादीगण है।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की [illegible] के नाम दर्ज आराजी रूघनाथ सिंह के स्वअर्जित सम्पति नही [illegible] है, जिसका राजस्व अभिलेख[illegible] रूघनाथ सिंह के नाम दर्ज हुआ है। उपरोक्त आराजी वादीगण व [illegible]वादी संख्या 1 की पैतृक कृषि[illegible] है जिसमें वादीगण जन्म से ही हक व हिस्सा है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 रूघनाथ सिंह के नाम दर्ज आराजी में वादीगण का शामिल में 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 का है। इसी हिस्सेनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी को अविभाजित रूप से काश्त करती है शेष आराजी अन्य प्रतिवादीगण की राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार है जिस बाबत दावे में कोई विवाद नही है।

यह है कि रूघनाथ सिंह के दो पुत्रियां वादीगण की माता नीनूकुमारी व प्रतिवादी संख्या 2 पैदा हुई। वादीगण की माता नीनू कुमारी कम उम्र में ही देहान्त हो गया था। प्रतिवादी नम्बर 2 बहुत ही चालाक किस्म की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:53 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)

16

औरत है व प्रतिवादी नम्बर 1 की वृद्धावस्था के कारण भला बुरा सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 से उपरोक्त वादीगण के हक हिस्से की कृषि सम्पदा को विक्रय करके व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करके हड़पना चाहती है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई अधिकार नही है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही हक व हिस्सा व अधिकार है। वादीगण को उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने का पूरा–पूरा अधिकार है। इसलिए वाद पत्र में वर्णित आराजी में खसरा नम्बर नम्बर 481 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 3.90 हैक्टर में वादीगण को शामिल में 1/3 हिस्से की, प्रतिवादी संख्या 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से की, आराजी खसरा नम्बर 451 रकबा 0.4100 हैक्टर में रूघनाथ सिंह के नाम दर्ज 1/5 हिस्से की स्थान पर 1/15 हिस्से का शामिल में वादीगण को व 1/15 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 व 1/15 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 को, एवं आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 0.7100 हेक्टर मे रूघनाथ सिंह के नाम दर्ज 17/355 के स्थान पर वादीगण को शामिल में 17/1065 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 17/1065 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 2 को 17/1065 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित जाने व वादीगण के घोषित हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन किया जाकर अलग से खाता कायम किया जाने व अलग से सीमा व लगान कायम किया जावे।

यह है कि वादियागण की माता का कम उम्र में देहान्त हो गया था। प्रतिवादिया नम्बर 2 बहुत ही चालाक किस्म की औरत है जिसने प्रतिवादी नम्बर 1 को अपने चंगुल में ले रखा है। प्रतिवादी नम्बर 1 वृद्ध व्यक्ति है। प्रतिवादी नम्बर 1 की वृद्धावस्था के कारण सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है जिस कारण प्रतिवादी नम्बर 1, प्रतिवादी नम्बर 2 के चंगुल में फंसे हुये है। प्रतिवादी नम्बर 2 ने प्रतिवादी नम्बर 1 को अपने वश में कर अपने स्वार्थो की पूर्ति हेतु प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम सम्पति को खुर्द–बुर्द कर रही है तथा नाजायज प्रतिफल प्राप्त कर हजम कर जाना चाहती है। प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से मुम्बई में अरबों की सम्पति है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 2 ने कुण्डली मार रखी है। प्रतिवादी नम्बर 2 लगातार मुम्बई में स्थित प्रतिवादी नम्बर 1 की सम्पति को हस्तान्तरित कर चुकी है तथा अब प्रतिवादी नम्बर 2 की लालची नजरे वादग्रस्त सम्पति पर टिकी हुई है। प्रतिवादी नम्बर 2 ने वादग्रस्त सम्पति मे से खाता संख्या 574 का आराजी पर बैंक से ऋण ले लिया है तथा बेचने की फिराक में है। वादियागण को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वार ऋण लेने बाबत पता चला तब वादियागण ने प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 से बता की तब प्रतिवादी नम्बर 2 ने धमकी दी की पिता मेरे वश में है मै इनके नाम दर्ज सम्पति का विक्रय करूंगी। प्रतिवादी नम्बर 2 यदि उपरोत्क्त प्रकार से प्रतिवादी नम्बर 1 की क्षीण हुई सोच समझ का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त सम्पति में रूघनाथ सिह के नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजी को विक्रय कर देगी तो वादियागण को अपने वैध अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा, अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी तथा वादियागण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1व 9 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

आवेदकगण का प्रथम दृष्टया बहुत ही मजबूत मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है यदि अनावेदक संख्या 1 व 9 को निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जावेगा तो अनावेदक संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को हस्तान्तरित कर देगा तथा अनावेदक संख्या 9 हस्तान्तरण को विलेख रजिस्टर्ड कर देगा तो आवेदक को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फसना हागा तथा उक्त रजिस्टर्ड विलेख पत्र निरस्त करवाने लिए व मुआवजे आदि के लिये दावे करने होगे जिससे वादो की बहुलता बढेगी तथा वादीगण का अनावश्यक समय व धन खर्च होगा। जिसकी आर्थिक रूप से गणना की जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगा।

आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने मूल वाद ग्राम झाझड में स्थित खसरा नम्बर 481 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 3.90 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.71 हैक्टर को अनावेदक संख्या 1 किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे व अनावेदक संख्या 9 अनावेदक संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अन्तरण विलेख रजिस्टर्ड करे और ना ही [illegible] के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करे और ना ही अनावेद संख्या [illegible] आराजी से पेड़ पौधे आदि काट कर वेस्ट डेमेज करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद [illegible] तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 01 की ओर से वकील श्री [illegible] उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अनावेदकगण संख्या 2, 8 लगायत बावजूद तामिल के [illegible]स्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.07.2022 को की जा चुकी है। अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 7 की तलबी नही हुई है। अनावेदकगण 3 लगायत 7 के विरूद्ध को सिद्धि नही चाही गई है इससे प्रार्थना पत्र पर इनकी तलबी के अभाव में कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:53 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (का.दे.)

17

अनावेदकगण संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मद संख्या में वर्णित खसरा नम्बर स्थित होना स्वीकार है लेकिन आवेदकगण/वादीगण का उपरोक्त वर्णित भूमि से कोई ...त अथवा सरोकार नही है और ना ही आवेदकगण स्वर्गीय धूड़सिंह के विधिक वारिसान एवं वंशज है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज वंशावली गलत एव अस्वीकार है। आवेदकगण स्वर्गीय धूड़सिंह की ...धिक वारिसान नही है जिससे उन्हे उतरदातागण के हक व हिस्से की भूमि में विभाजन करवाकर हिस्सा प्राप्त ...रने का अधिकार नही है। यहां पर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उतरदातागण की पुत्री नीलू कुमारी ...की मृत्यु हो चुकी है। जहां पर पुत्री की मृत्यु पिता के जीवनकाल में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पुत्री के ...ारिसान को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हिन्दू उताराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत प्राप्त नही होता ...जिससे आवेदकगण का दावा व प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

आवेदकगण स्वर्गीय धूड़सिंह जी के वारिसान अथवा वंशज नही है। आवेदकगण किसी भी प्रकार से ...वाद–पत्र में वर्णित भूमि से सम्बन्ध तथा सरोकार नही रखते और ना ही आवेदकगण उपरोक्त वर्णित भूमि को कभी काश्त करते है। आवेदकगण जन्म से ही जयपुर में निवास करते है तथा उनकी शादी भी जयपुर मे ही हुई है। आवेदकगण कभी ग्राम झाझड में नही आई। यहां तक की उपरोक्त वर्णित भूमि को आवेदकगण की माता नीलू कुमारी ने भी कभी काश्त नही की। जिससे आवेदकगण का उपरोक्त भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा होना कतई संभव नही है। आवेदकगण का दावा अधारहीन व बेबुनियाद होने से खारिज होने होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में उतरदाता के दो पुत्रियां पैदा होना स्वीकार है लेकिन शेष कथन जिस प्रकार दर्ज है। गलत एवं अस्वीकार है। आवेदकगण/वादीगण का उतरदाता के हिस्से की भूमि से कोई सम्बन्ध नही है लेकिन उन्होने गलत रूप से भूमि में अपना हिस्सा जाहिर करने की नीयत से काल्पनिक व बेबुनियाद तथ्य अंकित करते हुये दावा प्रस्तुत किया हैं जिसका आवेदकगण को हक व अधिकार नही है। आवेदकगण उतरदाता के जीवन काल में किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकार नही है और ना ही आवेदकगण भूमि का विभाजन करवाकर अपना हिस्सा अलग कायम करवाने की अधिकारी है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावा व प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से चलने योग्य नही है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि उतरदाता के खातेदारी की भूमि है जिसमें अनावेदक नम्बर 2 का किसी प्रकार से हित अथवा सरोकार नही है और ना ही अनावेदक नम्बर 2 ग्राम झाझड में रहती है बल्कि मुम्बई में निवास करती है जिससे अनावेदक नम्बर 2 के दवाब अथवा प्रभाव में हो। सत्य बात तो यह है कि उपरोक्त भूमि उतरदाता काश्त करता है। आवेदकगण की नीयत खराब हो चुकी है। और वे भू–माफियाओं के चक्कर में आकर गलत रूप से भूमि में अपना अधिकार जताने की नियत से दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे कि वे उतरदाता पर दवाब बनाकर उससे नाजायज रूप से धन वसूल सके। इसी दुषित उद्देश्य से आवेदकगण द्वारा दावा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही है। आवेदकगण किसी भी प्रकार से से उतरदाता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है ओर ना ही वे उतरदाता को कानूनन पाबन्द कराने के अधिकार रखते है। उतरदाता भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं वर्णित भूमि पर उसका कब्जा व काश्त है जिसके विरूद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती जिससे आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार दर्ज है गलत एवं अस्वीकार है। आवेदकगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है और नही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है। आवेदकगण ना तो भूमि की काश्त अथवा सहकाश्तकार है ना ही आवेदकगण का वाद भूमि पर कब्जा रहा है और ना ही उन्होने कभी काश्त की ऐसी स्थिति में उन्हे किसी प्रकार की क्षति होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। बल्कि आवेदक के कृत्य से उतरदाता एक शांति प्रिय एक वृद्ध व्यक्ति है और अपने हिस्से की भूमि काश्त कर अपनी आजीविका चलाता है जिसमें अन्य किसी का कोई दखलन्दाजी नही है। आवेदकगण बेवजह झूठा व आधारहीन दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उतरदाता को ब्लैकमेल करने की कुचेष्टा की है। आवेदकगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आवेदकगण का ... हित अथवा सरोकार नही है जिससे आवेदकगण को उपरोक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में दावा ... अथवा किसी प्रकार का क्लेम करने का कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। आवेदकगण ... नही है।

यदि पिता के जीवन काल में पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पुत्री के वारिसान को कानूनन घोषणा अथवा विभाजन का दावा प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्राप्त नही है। आवेदकगण स्वर्गीय धूड़सिंह के विधिक वारि... अथवा वंशज नही है ऐसी स्थिति में उतरदाता के जीवन काल में उतरदाता के हक व हिस्से की भूमि की घोषणा करवाकर अपना हिस्सा विभाजन करवाने का आवेदकगण को किसी भी प्रकार से हक व अधिकार प्राप्त नही है।

उतरदाता वर्णित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। तथा भूमि पर उतरदाता का ही कब्जा व काश्त है। आवेदकगण अथवा उनकी माता का कभी भी उपरोक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। यहां तक की आवेदकगण की माता शादी के पश्चात कभी ग्राम झाझड में आई ही नही थी जिससे कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:53 IST
Reason: SelfAttested

प. सी. ई. एम. (क्र.डे.)
नवलगढ़

होने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। कानून के मुताबिक भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार जिसका वाद भूमि पर कब्जा हो के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिए आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे।

जवाब देही पेश होने पर बहस वकील पक्षकार सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा कथन किया कि आवेदकगण स्वर्गीय धूडसिंह की विधिक वारिसान नही है जिससे उन्हे अनावेदक संख्या 1 के हक व हिस्से की भूमि में विभाजन करवाकर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नही है। यहां पर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उतरदातागण की पुत्री नीलू कुमारी की मृत्यु हो चुकी है। जहां पर पुत्री की मृत्यु पिता के जीवनकाल में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पुत्री के वारिसान को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत प्राप्त नही होता। आवेदकगण किसी भी प्रकार से वर्णित भूमि से सम्बन्ध तथा सरोकार नही रखते और ना ही आवेदकगण उपरोक्त वर्णित भूमि को कभी काश्त करते है। आवेदकगण जन्म से ही जयपुर में निवास करते है तथा उनकी शादी भी जयपुर मे ही हुई है। आवेदकगण कभी ग्राम झाझड मे नही आई। यहां तक की उपरोक्त वर्णित भूमि को आवेदकगण की माता नीलू कुमारी ने भी कभी काश्त नही की। जिससे आवेदकगण का उपरोक्त भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा होना कतई संभव नही है। इस प्रकार आवेदकगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है और नही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है। आवेदकगण ना तो भूमि की काश्त अथवा सहकाश्तकार है ना ही आवेदकगण का वाद भूमि पर कब्जा रहा है और ना ही उन्होने कभी काश्त की ऐसी स्थिति में उन्हे किसी प्रकार की क्षति होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। पिता के जीवन काल में पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पुत्री के वारिसान को कानूनन घोषणा अथवा विभाजन का दावा प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्राप्त नही है। आवेदकगण स्वर्गीय धूड़सिंह के विधिक वारिसान अथवा वंशज नही है ऐसी स्थिति में उतरदाता के जीवन काल में उतरदाता के हक व हिस्से की भूमि की घोषणा करवाकर अपना हिस्सा विभाजन करवाने का आवेदकगण को किसी भी प्रकार से हक व अधिकार प्राप्त नही है। उतरदाता वर्णित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा भूमि पर उतरदाता का ही कब्जा व काश्त है। आवेदकगण अथवा उनकी माता का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। यहां तक की आवेदकगण की माता शादी के पश्चात कभी ग्राम झाझड में आई ही नही थी जिससे कब्जा काश्त होने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। कानून के मुताबिक भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार जिसका वाद भूमि पर कब्जा हो के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिए आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे।

जवाब बहस में वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम झाझड की सरहद में खाता संख्या 574 में आराजी खसरा नम्बर 481, 482 रकबा क्रमशः 0.0400, 3.900 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हैक्टर व खाता संख्या 554 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 451 रकबा 0.41 हैक्टर एवं खाता संख्या 555 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 0.71 हैक्टर स्थित है जों वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पैतृक आराजीयात है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 को अपने पूर्वज धूड़सिंह से प्राप्त हुई है। ग्राम झाझड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का पूर्वज धूड़सिंह जी थे जिनके पांच पुत्र रूघनाथ सिंह, सतीश सिंह, रमेश सिंह, रामसिंह राजेन्द्र सिंह हुये है जिनमें से सतीश सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके विधिक वारिस उनकी पत्नी अलका व पुत्र करण सिंह है, रूघनाथ सिंह को दो पुत्रिया नीनू कुमार व अनिता हुई, जिनसे नीनू कुमारी का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी विधिक वारिस शिंवागी व वृतिका वादीगण है। वर्णित आराजीयात में रूघनाथ सिंह पुत्र धूड़सिंह के नाम दर्ज आराजी रूघनाथ सिंह के स्वअर्जित सम्पति नही होकर पैतृक कृषि सम्पदा है, जिसका राजस्व अभिलेख विरासतन रूघनाथ सिंह के नाम दर्ज हुआ है। उपरोक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि सम्पदा है, जिसमें वादीगण जन्म से ही हक व हिस्सा है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 रूघनाथ सिंह के नाम दर्ज आराजी में वादीगण का शामिल में 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी ... का है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:53 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

यहां पर प्रथम दृष्टया मामाल एवं सुविधा का संतुलन का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर विवादग्रस्त भूमि वाके राजस्व ग्राम झाझड की सरहद में खाता संख्या 574 में आराजी खसरा

प.सी.ई.एम.(का.ई.) उदयपुरवाटी

नम्बर 481, 482 रकबा क्रमशः 0.0400, 3.900 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हैक्टर व खाता संख्या 554 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 451 रकबा 0.41 हैक्टर एवं खाता संख्या 555 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 0.71 हैक्टर स्थित है जों वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पैतृक आराजीयात है। वादग्रस्त आराजीयात पूर्वज धूड़सिंह से प्राप्त हुई है। ग्राम झाझड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का पूर्वज धूड़सिंह जी थे जिनके पांच पुत्र रूघनाथ सिंह, सतीश सिंह, रमेश सिंह, रामसिंह राजेन्द्र सिंह हुये है। जिनमें से सतीश सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके विधिक वारिस उनकी पत्नी अलका व पुत्र करण सिंह है, रूघनाथ सिंह को दो पुत्रिया नीनू कुमार व अनिता हुई, जिनसे नीनूकुमारी का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी विधिक वारिस शिंवागी व वृतिका वादीगण है। वर्णित आराजीयात में रूघनाथ सिंह पुत्र धूड़सिंह के नाम दर्ज आराजी रूघनाथ सिंह के स्वअर्जित सम्पति नही होकर पैतृक कृषि सम्पदा है, जिसका राजस्व अभिलेख विरासतन रूघनाथ सिंह के नाम दर्ज हुआ है। आवेदकगण के रधुनाथ की जायन्दा पुत्री नीनू के वारिसान है। नीनू देवी पिता के जीवन काल में फौत हो गई। अनावेदक संख्या 1 वर्णित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। आवेदकगण की माता का कभी भी उपरोक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। आवेदकगण की माता का देहान्त रधुनाथ के जीवन काल मे हो चुका था। इस प्रकार आवेदकगण एवं उनकी माता का कब्जा काश्त होना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत माता की भूमि को पैतृक मानते हुये घोषणा चाही गई हैं। न्यायालय इस कथन से सहमत है कि हिन्दु उताराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत माता के जीवन काल में हिदु नारी की संपति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी संपति होती है जबकि उक्त वाद में आवेदकगण की माता की मृत्यु अनावेदक संख्या 1 के जीवन काल में हो चुकी है। चूंकि अनावेदक संख्या 1 भूमि के राजस्व रिकार्ड के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने के साथ ही यह वर्णित भूमि पर काबिज काश्तकार भी है। इस प्रकार अनावेदक संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखा जाना न्यायोचित नही है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नही होना पाया जाता है बल्कि अनावेदगण संख्या 01 के पक्ष में पाया जाता है।

अपूरणीय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नही है। अनावेदगण संख्या 1 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। यदि अनावेदकगण संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है तो आवेदक के बजाय अनावेदगण संख्या 1 को अपूणरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में आवेदक को अपूरणीय क्षति घटित होना प्रमाणित नही होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा रान् अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील ा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फॉस्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:53 IST
Reason: SelfAttested